

भारत सरकार
सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
सीमाशुल्क गृह, विलिंगटन आईलैंड, कोचिन- 682009
Fax: 0484-2668468
Website : www.cochincustoms.gov.in
e-mail : cochincustoms@nic.in
Sevottam compliant



GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
CUSTOM HOUSE, W/ISLAND, COCHIN- 682009
टेलीफोन 0484-2666861 to 2666864
Telephone 0484-2666774 / 2666776
Control Room 0484-2666422
An IS 15700 certified Custom House

परिपत्र CIRCULAR. No.14 / 2016 -17

विषय : स्थाई व्यापार सुविधा समिति – दिनांक 31.01.2017 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - संबंधित।

Sub: Permanent Trade Facilitation Committee - Minutes of the meeting held on 31.01.2017 – Reg.

स्थाई व्यापार सुविधा समिति की 132 वीं बैठक दिनांक 31.01.2017 को 04.30 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। डॉ.के.एन.राघवन, सीमाशुल्क आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 132nd meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 4.30 PM on 31.01.2017 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Dr. K.N. Raghavan, Commissioner of Customs chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे: सर्वश्री/श्रीमती
The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt.

1. Anilkumar S, Addl. Commissioner
2. Aneish P Rajan, Deputy commissioner
3. Amreeta Titus, Deputy Commissioner
4. S.V.Prakash, Asst.Commissioner
5. Jimmy Joseph, Asst.Commissioner
6. K.C.S.Prasanth, Superintendent of Customs
7. Bhuvanachandran P , Scientist, 'D' NIC

व्यापार और व्यापार संबंधी अन्य सरकारी संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधि: सर्वश्री:

The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

1. Girish Thomas, Cochin Port Trust
2. Raj Vinod, Cochin Port Trust
3. Dr.Jesto George, FSSAI
4. Milu Mathew, Plant Quarantine
5. Dipin, IGTP
6. K.Suresh Babu, CFS (CPT)
7. P.P.Rajendran CFS (Falcon)
8. Abraham Philip, CCHAA
9. A.A.Fernandez, CCHAA
10. Prakash Iyer, CSAA
11. M.Krishnakumar, CSAA
12. Jayaprakash Naiken, CSAA
13. Alex K Ninan, Seafood Exporters Assn.
14. N.N.Menon, EPC for EOU & SEZ
15. K.Mohakumar, CAI
16. A.A.Abdul Azeez, Indian Chamber of Comm. & Industry
17. A.K.Vijayakumar, FIEO

आयुक्त महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। पिछली बैठक के कार्यवृत्त और उस पर की गई कार्रवाई पर विचार किया गया। इसके बाद नए बिंदु उठाए गए।

The Commissioner welcomed the members to the meeting. The minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points thereon was taken for consideration after which fresh points were taken up.

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई

ACTION ON MINUTES OF LAST MEETING

नौवहन बिलों पर “ यह कन्साइन्मेंट सीमाशुल्क द्वारा वास्तविक जांच के लिए नहीं खोला गया था” लिखा जाना (सीसीएचएए)

INSCRIPTION OF “This consignment was not opened for Physical Examination by Customs” IN THE SHIPPING BILLS (CCHAA)

अध्यक्ष महोदय को दिए उत्तर में सदस्यों ने सूचित किया कि अन्य राज्यों में स्थित उनके संगठनों से नौवहन बिलों पर लिखे जाने के संबंध में अभी पुष्टीकरण नहीं मिला है।

In reply to the Chair, the members informed that confirmation is yet to be received regarding the inscription in the Shipping Bills, from their formations located in other States

अध्यक्ष महोदय ने अनुरोध किया कि यह प्राप्त होने पर शीघ्र विभाग को सूचित करें ताकि इस मामले में उचित कदम उठाए जा सके।

The Chair requested to inform as soon as they receive the same so that necessary steps can be taken in this matter.

वीजीएम के बाद वजन में बदलाव होने के कारण नौवहन बिलों में संशोधन (सीसीबीए)

AMENDMENT IN SHIPPING BILLS DUE TO CHANGE IN WEIGHT AFTER VGM (CCBA).

अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर पुनः जोर दिया कि पिछली बैठक में की गई चर्चा के अनुसार हाउस स्टाफ किए गए सील्ड कंटेनर के वजन में 1000 कि.ग्रा. का अंतर आता है, तो यह एक गंभीर मामला है जिसमें जांच करने की ज़रूरत होती है। कन्साइन्मेंट का कारखाने में वजन नहीं किया जाता और केंद्रीय उत्पादशुल्क द्वारा सत्यापित दस्तावेजों के तहत इसे निर्यात के लिए लाया जाता है, इसलिए इसके बाद अगर कोई विसंगति पाई जाती है, तो इसका समर्थन उनके द्वारा किया जाना चाहिए। इसलिए इस मामले में विभाग द्वारा अनुसरण की जाने वाली मौजूदा प्रक्रिया युक्तिसंगत है और ऐसे मामलों की संख्या बहुत कम होने के कारण इसमें बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है।

The Chair reiterated that as discussed in the previous meeting the difference of weight about 1000 kgs. in the house stuffed, sealed container is an issue of serious concern which warrants examination. As the consignment is not getting weighed in the factory and moved under Central Excise certified documents for export, the discrepancy if any, found thereafter need to get endorsed by them. Hence, the practice followed by the department at present in this matter is reasonable and needs no change as the number of such cases are very few.

स्टीमर एजेंटों को पहचान पत्र जारी करना (सीएसएए)

ISSUANCE OF IDENTITY CARDS TO STEAMER AGENTS (CSAA).

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि पहचान पत्र जारी करने का उद्देश्य अप्राधिकृत लोगों का आना-जाना रोकना है। जहां तक स्टीमर एजेंटों का संबंध है, उन्हें उचित ध्यान देने के बाद पोर्ट प्राधिकारियों द्वारा पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं और इसलिए स्टीमर एजेंटों को इन पहचान पत्रों को दिखाने के बाद ही सीमाशुल्क गृह में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

The Chair informed that the reason behind issuing Identity Cards is to avoid movement of really unauthorized people. As far as steamer agents are concerned, Identity cards are being issued to them by the Port authorities after due diligence; and hence, entry into Custom House would be permitted on displaying these Identity cards to the Steamer Agents.

चर्चा के लिए उठाए गए नए मुद्दे

FRESH POINTS TAKEN UP FOR DISCUSSION

बिंदु सं.1 कोचिन हवाईअड्डे पर कुरियर निकासी के लिए प्रावधान का अनुरोध (एफआईओ)

Point No.1. REQUEST FOR PROVISION FOR COURIER CLEARANCE AT COCHIN AIRPORT (FIEO)

एफआईओ के श्री ए.के. विजयकुमार ने उनके एक सदस्य निर्यातक मेसर्स क्वेव सॉफ्ट सिस्टम्स के अभ्यावेदन के आधार पर अनुरोध किया कि कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कुरियर के माध्यम से कम मूल्य/मात्रा के निर्यात वस्तुओं और सेस के तहत निकासी के लिए आयात किए गए कम मूल्य की वस्तुओं की निकासी के लिए आवश्यक प्रावधान करें। कुरियर आगम पत्रों की हार्ड कॉपी, निकासी के लिए बेंगलूर या मुंबई भेजनी पड़ती है इसलिए उनके सदस्यों को काफी वक्त की बरबादी और परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सेस स्कीम के तहत आयात की गई 01 लाख रु. से ऊपर के मूल्य वाली सभी वस्तुओं को शिपमेंट की मात्रा पर ध्यान दिए बिना कारगो के रूप में माना जाता है और एस्कोर्ट के अंतर्गत निकासी दी जाती है, जो एक महंगी एवं लंबी प्रक्रिया है।

Shri A.K.Vijayakumar of FIEO, based on the representation of one of their member exporters' M/s. Qwave Soft systems, requested to make necessary provision in the Cochin International Airport for clearance of low valued/ volume export items and also the low volume items, imported for clearance under SEZ, through courier. A lot of time delay and hardship are experienced by their members, as they need to send the hard copy of Courier Bill Of Entry either to Bangalore or to Mumbai for getting clearance. He also added that all the items imported for clearance under SEZ scheme with a value of above Rs.1 lakhs are treated as cargo irrespective of the volume of the shipment and are cleared under escort, which is an expensive and time consuming process.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कोच्ची में काम करने वाली डीएचएल, डीटीडीसी जैसी सभी कुरियर कंपनियां पूर्ण रूप से मुफ्त गिफ्टों को एकत्र और वितरित करने का काम करती हैं और किसी आयात/निर्यात कारगो का काम नहीं करती हैं। कोच्ची के लिए भेजे गए कन्साइनमेंटों की निकासी उनके बेंगलूर/मुंबई कार्यालयों के माध्यम से होती है। अगर कुरियर कंपनियां कुरियर आयात/निर्यात कोच्ची हवाईअड्डे के माध्यम से करने के लिए आगे आती हैं, तो विभाग इस मामले में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए तैयार है। सेस कन्साइनमेंटों के मामले में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस संबंध में विचार करने के लिए विस्तृत जानकारी दें।

The Chair stated that almost all the Courier companies, such as DHL, DTDC etc., operating in Kochi are entirely dealing with collection and supply of Free gifts and not dealing with any import/export cargo. Consignments meant for Kochi are cleared either through their Bangalore/Mumbai offices. If the courier companies come forward with a willingness to operate with courier import/export through Kochi Airport, the department is a ready to make necessary arrangements in this matter. Regarding SEZ consignment, the Chair asked to give more details for considering the issue.

बिंदु सं.2 : कनसोल एजेंटों द्वारा सब-मैनिफेस्ट दायर किए जाने के कारण मेल न खाने के मामले में सिस्टम द्वारा सीएफएस कोड की ओवर-राइडिंग नहीं किया जाना (सीएसएए)

POINT No.2. NON OVER-RIDING OF CFS CODE BY THE SYSTEM IN CASE OF MISMATCH DUE TO FILING OF SUB MANIFEST BY CONSOLE AGENTS(CSAA)

सीएसएए ने कहा कि ऐसी घटनाएं हुई हैं कि फ्राइट फोर्वर्डरों ने सब-मैनिफेस्ट दायर कर संबंधित लाइनर/कैरियर को सूचित किए बिना स्टीमर एजेंटों द्वारा आईजीएम में दायर किए गए सीएफएस को बदल रहे हैं। ये बदलाव कारगो की पहचान के लिए सिस्टम में नहीं दर्शाए जाते, इसलिए कभी कभी इससे बहुत परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उन्होंने पूछा कि आईसीईजीएटीई कैसे एक लाइन/बीएल के तहत दो अलग-अलग सीएफएस को स्वीकार कर रहा है और यह भी जानना चाहा कि क्या सिस्टम में ऐसी गलतियों को रोकने के लिए कोई चेकप्वाइंट हैं, क्योंकि हर महीने 2 से 3 ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।

The CSAA submitted that there were incidents wherein the Freight Forwarders, by filing a Sub manifest, are changing the CFS as nominated in the IGM filed by the Steamer Agents, without intimation to the respective liner/Carrier. Since these amendments are not reflected in the system for them to identify the cargo, this ended up with some embarrassing situation at times and hence they asked how the ICEGATE is accepting two different CFS under one Line/ BL and enquired whether there is any check point, in the system to avoid such mistakes, since 2 to 3 such cases are noticed per month.

श्री भुवनचंद्रन ने कहा कि जहाज़ के लिए प्रवेश की मंजूरी देने से पहले किसी भी समय आईजीएम में संशोधन किए जा सकते हैं।

Shri Bhuvanachandran, stated that amendments in the IGMs can be made any time before granting Entry Inward to the vessel.

अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि प्रवेश की अनुमति देने के पहले की जाने वाली सभी प्रविष्टियां केवल प्रविष्टियां हैं, इनको संशोधन नहीं माना जाता है। प्रवेश की अनुमति देने के बाद दर्ज किए गए ब्योरों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है अर्थात् प्रवेश की अनुमति प्रदान किए जाने के बाद यह अंतिम रूप से अनुमोदित आईजीएम ब्योरे बन जाते हैं और इसके बाद की गई प्रविष्टियां ही संशोधन बनती हैं। वैसे तो फ्राइट फोर्वर्डरों के साथ संपर्क बनाए रखना ही इस मामले का हल हो सकता है, क्योंकि व्यापार सुविधा उपाय के रूप में आईजीएम दायर करने की सुविधा फ्राइट फोर्वर्डरों को दी गई है। इसके अलावा आईसीटीटी पर गेट अधिकारी को यह अनुदेश देना भी इस मामले का एक हद तक समाधान हो सकता है कि वह अपने पास उपलब्ध या सिस्टम में दर्शाए गए आईजीएम की जांच करें कि कारगो को किस सीएसएफ में ले जाना है।

The Chair explained that before granting Entry Inward all the entries are just entries and not amendments. On granting of Entry Inwards, the details fed, becomes frozen i.e once the EI is granted, it becomes the finally approved IGM details and any entry made after that only, becomes an amendment. As such, maintaining a rapport/liaison with the Freight Forwarders would be a solution to this issue since facility to file IGM was given to the Freight Forwarders as a trade facilitation measure. Besides, giving instructions to the Gate officer at ICTT to check up with the IGM available with/flashing in the system regarding the CFS to which, the cargo is to be moved, also would help to solve this issue to some extent.

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों द्वारा जीएसटी, पोर्ट निकासी एवं चूककर्ताओं की सूचि, रेडियोलोजिकल स्केनर, शुल्कवापसी एवं परिणामी बजट से संबंधित कुछ शंकाओं को भी दूर किया।

The Chair also clarified some doubts raised by the members regarding GST, Port clearance and List of Defaulters Radiological scanners, Drawback claims and the ensuing Budget.

कोचिन सीमाशुल्क के माध्यम से काम करने वाले स्टीमर एजेंटों की सूचि के प्रकाशन के संबंध में श्री प्रकाश अय्यर द्वारा उठाए गए एक सवाल पर अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि विभाग इस पर काम कर रहा है और इसमें थोड़ा समय लगेगा।

To a query raised by Shri Prakash Iyer regarding publication of List of Steamer Agents operating through Cochin Customs, the Chair informed that the department is working on it and it would take some time.

अध्यक्ष महोदय ने रुकने के समय को घटा कर 9.06 दिन तक लाने और सीमाशुल्क के हिस्से को 1.46 दिन तक लाने के लिए अथक प्रयास करने हेतु सदस्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों के समन्वित प्रयास से जहाज़ के प्रवेश से आगम पत्र दायर करने तक लगने वाला 4.61 दिन और भुगतान से पंजीकरण तक लगने वाला 1.82 दिन का समय, रुकने के समय को बड़ी मात्रा में घटाएगा और इस बंदरगाह के माध्यम से होने वाले काम को बढ़ाएगा।

The Chair thanked all the members for their immense efforts in bringing down the Dwell time to 9.06 days and the Customs portion to 1.46 days. He stated that with coordinated efforts from all the members, the time of 4.61 days taken from entry inwards to filing Bill of Entry and 1.82 days from payment to registration, would considerably bring down the dwell time and increase the volume of work through this Port.

सभी सदस्यों ने इस सुझाव का स्वागत किया।

All the members welcomed this suggestion.

चर्चा के लिए कोई और बिंदु नहीं उठाए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने होने की घोषणा की। स्थाई व्यापार सुविधा समिति समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह के वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in पर सूचित की जाएगी। चर्चा हेतु यदि कोई मुद्दा हो तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई मेल ccu@cochincustoms.gov.in या ccucochin@gmail.com के माध्यम से की जा सकती है।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks. The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com

(डॉ. के.एन. राघवन Dr. K.N. RAGHAVAN)

आयुक्त COMMISSIONER

S.No. S 65/11/2012 – CCU Cus. Pt II

तारीख Dated: 15.02.2017

//अनुप्रमाणित Attested//

(वी. उषा V. USHA)

सीमाशुल्क अधीक्षक (सी.सी.यू.) Supdt. of Customs (CCU)

प्रस्तुत Submitted to:

The Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Kerala Zone, Cochin.

The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit, 4th Floor TTMC Building, Above BMTC Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :

Additional Commissioner

All D.Cs & A.Cs

All members